



षोडश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-17.03.2016 को लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री नीलाद आलम,
संवि०सं०
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह,
संवि०सं०
डॉ० रामानन्द यादव,
संवि०सं०
श्री सरफराज आलम,
संवि०सं०
श्री मो० तौसीफ आलम,
संवि०सं०
श्री अख्तियार इस्लाम खान,
संवि०सं०
श्री फैयाज अहमद,
संवि०सं०
डॉ० मुहम्मद जावेद,
संवि०सं०

राज्य सरकार ने 2459-1 कोटि के मदरसों को अनुदान की श्रेणी में शामिल किया है। सभी आईटार् पूरा करने के बावजूद बि.रा.म.शि.बोर्ड द्वारा प्रस्वीकृति दिये गये 339 मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने हेतु 2459-1 मदरसों के साथ मूलवश सचिव, बि.रा.म.शि.बोर्ड, पटना ने शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को नहीं भेजा। विशेष निदेशक के पत्रांक 10/वा-07/2014-1015, दिनांक-15.12.2014 में प्राप्त निदेश पर सचिव, बि.रा.म.शि.बोर्ड, पटना ने अपने पत्रांक-474, दिनांक-21.01.2015 के द्वारा शिक्षा विभाग को 339 मदरसों की सूची उपलब्ध करायी। लेकिन एक वर्ष के उपरान्त अब तक इन मदरसों को अनुदान की श्रेणी में नहीं लाया गया है जिससे बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित हो गया है।

अतः उपरोक्त 339 मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण करते हैं।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्रीमती पूर्णिमा यादव,
संवि०स०
श्री अशोक कुमार सिंह,
संवि०स०
श्रीमती रवींटी सोमा हेम्ब्रम,
संवि०स०
- नवादा जिला के रोह प्रखंड का अनुमंडल रजौली है, सामान्य प्रशासन जिसकी दूरी 50 किलोमीटर है। रोह से रजौली नवादा होकर जाना पड़ता है। जनता को रोह से पहले नवादा आना पड़ता है फिर सवारी बदलकर रजौली जाना पड़ता है, जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छोटे से काम हेतु भी इन्हें दिनभर का समय व्यतीत करना पड़ता है साथ ही अधिक भाड़ा का भी भुगतान करना पड़ता है। रोह प्रखंड का अनुमंडल नवादा सदर हो जाने पर अनुमंडल की दूरी मात्र 15 किलोमीटर हो जाती है।

अतः रोह प्रखंड को नवादा सदर अनुमंडल से जोड़ने हेतु हम सदर के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

राजीव कुमार

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/16-

515

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 15 मार्च, 2016 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकसुलक्ष के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/16-

515

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 15 मार्च, 2016 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।



(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

